न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 05/2022

जसविन्द्र सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जट सिख आयु 56 वर्ष निवासी 14 क्यूं तह0 व जिला श्री गंगानगर ।

– – **प्रार्थी**

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया (रक्षा मंत्रालय) भारत सरकार सीमा सडक संगठन (ग्रेफ) श्री गंगानगर साधुवाली बाईपास जरिये अधिशाषी अभियंता।

–– **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेश अरोड़ा – – प्रार्थी
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–23.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवानी दावा श्रीमान न्यायालय मे पेश किया जा चुका है जिसमें अंकित तथ्यों को इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों के रूप में पढा जावे जिससे तथ्यों की पुनरावृति ना हो सकें । वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी के शपथ पत्र से तीनों बिन्दु– 1. प्राईमा फैसाई केस, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित है अतः ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है। प्रार्थी के नाम चक 7 ए छोटी प्रथम तह० व जिला श्री गंगानगर के खाता सं0 32/26 मु० न० 2 के किला न0 11/0.051 हे, 12/1 की 0.101 हे0, 16/2 की 0.013 हे0, 17/1 की 0.089 हे०, 18/1 की 0.177 हे0, 19/0.253 हे0, 20/0.240 हे0, 21/0.253 हे0, 22/0.253 हे0, 23/0.253 हे0, 24/1 की 0.190 हेव, 25/1 की 0.089 हे0, कुल 1.962 हे० नहरी खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है। उपरोक्त मु० न० 2 में पूर्व में अप्रार्थी द्वारा साधुवाली बाईपास मार्ग हेतु कृषि भूमि चक 7 ए छोटी प्रथम तह० श्री गंगानगर के खाता सं0 104/77, मु0न0 2 के किला न0 9/0.025 हे०, किला न० 12/2 की 0.127 हे0, 13/2 की 0.177 हे0, 14/2 की 0.013 हे०, 16/4 की 0.013 हे0, 17/2 की 0.1640, 18/ 2 की 0.076 हे0, 24/2 की 0.063 हे0, किला न0 25/2 की 0.164 हे० कुल 0.822 हे0 अवाप्त की गई जिसका अंकन राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार सीमा सडक संगठन श्री गंगानगर साधुवाली बाईपास मार्ग के नाम से खाता सं0 104/77 के रूप में दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में जो सडक साधुवाली बाईपास मार्ग सूरतगढ से पदमपुर की तरफ निकाली वह उक्त मुरब्बा न0 2 में अवाप्तशुदा भूमि जो सडक हेतु

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्त की गई थी में से ना निकालकर राजनैतिक दबाव से अन्य हिस्सेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से सडक हेतु अवाप्त भूमि किला न0 14 व 16 में से ना निकालकर अन्य किलों में निकाली गई, जिससे सडक में मोड आने के कारण अब अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि खाता सं0 32/26 मु० न० 2 के किला न0 19, 23, 24, 25, 12, 18 में अतिक्रमण करने का प्रयास कर व मिटटी डालकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि खाता सं0 32/26 मु० न० 2 जिसका विवरण ऊपर किलावाईज दर्ज है में मदाखलत कर जबरन सडक बनाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि प्रार्थी के उपरोक्त किलाजात मु० न० 2 के किला न० 19, 23, 24, 25, 12, 18 में अप्रार्थी कानूनन प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा डालने व जबरन बेदखल करने तथा सडक के लिए अतिक्रमण करने का अधिकारी नहीं है मगर मनमानी करना चाहता है यदि वह इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, प्रार्थी ने उपरोक्त रकबा में मौजूदा फसल भी काश्त कर रखी है, मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रार्थी की खातेदार कब्जा काश्त की भूमि चक 7 ए छोटी प्रथम तह० व जिला श्री गंगानगर के खाता सं0 32/26 गु० न० 2 के किला न० 11/0 051 हे, 12/1 की 0.101 हे0, 16/2 की 0.013 हे0, 17/1 की 0. 089 हे0, 18/1 की 0.177 हे0, 19/0.253 हे0, 20/0.240 हे0, 21/0.253 हे0, 22/0.253 हे0, 23/0.253 हे0, 24/1 की 0.190 हे0, 25/1 की 0.089 हे0, कुल 1.962 हे0 के प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से बाधा पैदा करने जबरन बेदखल करने किसी भाग में मिटटी आदि डालने सडक बनाने से बाज व ममनु रहे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी सम्मन पर विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तोवात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। उक्त खाता 04/77 रक्षा मंत्रालय भारत सरकार सीमा सड़क संगठन श्रीगंगानगर के नाम गैर मुमकिन सड़क के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा है। प्रार्थी के वाद में वर्णित अभिलिखित अभिवचनो एवं जमाबंदी दस्तावेजात के आधार पर वाद का निर्णय किया जाना है। राज्य पक्ष की भूमि पर स्थगन जारी किया जाना न्यायिक दृष्ट से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 23.12.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गोयल)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner